

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), भरतपुर

दिनांक: 01/04/2022

क्रमांक: F.40/

IPART-AM/IGNITTING/2022-23/102

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/BHA/0004040

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशंका सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के यह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मीचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजलीसे पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता करून में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/BHAR/2022/015280	नाम: Than Singhपिता का नाम: Yadramजिला: भरतपुर	51, KATHUA THOK BACHHAMADI, नदबई, पंचायत समिति - नदबई, ग्राम पंचायत - बछामदी, गांव - बछामदी	18/07/2021	आकाशीय बिजली	श्री थानसिंह पुत्र श्री यादराम निवासी बछामदी तहसील नदबई के पक्के मकान में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्का मकान एवं कपड़ा, बर्तन क्षति हेतु सहायतार्थ प्रकरण प्राप्त हुआ है।	98900

योग

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-1021-12


जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
भरतपुर

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिनिधि -निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सभ्यगीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, भरतपुर।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा


(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
भरतपुर